न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/157

1. कालू पुत्र गीलाराम (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. किशनलाल पुत्र स्व0 श्री कालू आयु 25 वर्ष जाति माली ।
   1/2. ललित पुत्र स्व0 श्री कालू आयु 23 वर्ष जाति माली ।
   1/3. कैलाशी बाई पत्नी स्व0 श्री कालू आयु 56 वर्ष जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. गुलाब बाई पत्नी नारायण जाति माली निवासी ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बदाम बाई पुत्री गीलाराम आयु 70 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामनाथ पुत्री गीलाराम (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. तुलसी बाई पुत्री स्व0 श्री रामनाथ आयु 35 वर्ष जाति माली ।
   2/2. रामपारका पुत्री स्व0 श्री रामनाथ आयु 33 वर्ष जाति माली ।
   2/3. अन्शा पुत्री स्व0 श्री रामनाथ आयु 27 वर्ष जाति माली ।
   2/4. ममता पुत्री स्व0 श्री रामनाथ आयु 24 वर्ष जाति माली ।
   2/5. जमरी बाई पत्नी स्व0 श्री रामनाथ आयु 54 वर्ष जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 21.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 19.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 92ए, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत

किया। उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा में खाता संख्या नया 34 पुराना 38 की भूमि खसरा नम्बर 1024 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1296 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1297 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1299 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1301 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1321 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1322 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 07 कुल रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम खानपुरा में ही खाता संख्या नया 35 पुराना 39 की भूमि खसरा नम्बर 962 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 963 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित विवादित भूमि के मूल खातेदार प्रार्थिया के पिता गीलाराम पुत्र मोडू जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है । गीलाराम के प्रार्थिया पुत्री एवं कालू, रामनाथ प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 2 पुत्र उत्पन्न हुए। गीलाराम की पत्नी मोतिया बाई की मृत्यु गीलाराम से पूर्व हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया का 1/3 हिस्सा है । इसी अनुरूप बहैसियत सम्मिलित खातेदार कृषक भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है । गीलाराम की मृत्यु होने के पश्चात् अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 2 ने गुपचुप रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से प्रार्थिया के पुत्री होने का तथ्य छुपाते हुए अपने नाम इंतकाल खुलवा लिया जो अवैध है एवं दुरूस्त होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया का विवादित भूमि में वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 34 में प्रार्थिया का नाम अंकित नहीं है तथा खाता संख्या 35 में प्रार्थिया का नाम अंकित नहीं है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया का 1/3 हिस्सा है । परन्तु उक्त भूमि अप्रार्थीगण कम 1व 2 के 1/2 – 1/2 हिस्सा गलत दर्ज हो रहा है । अप्रार्थी कम 02 ने उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा से भी अधिक हिस्सा 1/2 अप्रार्थी कम 03 गुलाब बाई को बेचान कर दिया और गुलाब बाई ने उक्त भूमि को कय कर लिया । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूखण्डों का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है एवं प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण इसमें संयुक्त रूप से ही काश्त करते हैं । अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 – 1/2 गलत हिस्सा दर्ज होने का फायदा उठाकर जबरन प्रार्थिया को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं और उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर अन्य प्रकार से हस्तान्तरण आदि करने पर आमादा है ।

3. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी से प्रार्थिया को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे, उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया जावे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 02 ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.10.2020 के द्वारा वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखने के आदेश पारित किये ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2020 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 व 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का

निर्णय नोन स्पीकिंग आदेश है जो किसी भी रूप में आदेश की परिभाषा में नहीं आता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना मानमाने तौर पर रेस्पोडेन्ट को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थि हुए और अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता को नियुक्त किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 04.01.2020 आगामी पेशी अंकित की गई उसके बाद प्रत्येक पेशी नोटिस बोर्ड से आई और अपीलान्ट के अधिवक्ता नोटिस बोर्ड से ही तारीख पेशी नोट करते रहे । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09.08.2021 को किसान केडिट कार्ड वास्ते हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उक्त आराजी पर निर्णय होने की जानकारी दी गई । अपीलान्ट ने दिनांक 10.08.2021 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने एक वाद अधिकार घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसके साथ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा सुनवाईकर वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नोन स्पीकिंग आदेश है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के उपस्थित होने के बावजूद उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय तीन मुख्य बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एंव अपरिमि क्षति का लिखित में निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी उक्त तीनों बिन्दुओं का विवेचन नहीं किया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2006–07 (सप्ली0) पेज 368 न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम खानपुरा की खाता संख्या नया 34 में खसरा नम्बर 1024 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1296 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1297 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1299 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1301 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1321 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1322 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 07 कुल रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा भूमि कालू, रामनाथ पि0 मोडू के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर नामान्तरण संख्या 1227 दिनांक 29.06.2018 न्यायालय आदेश से कालू, रामनाथ पि0 मोडू के स्थान पर कालू, रामनाथ पिता गीलाराम कौम माली खाते दर्ज हुआ का नोट अंकित है । इसही प्रकार फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2076 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम खानपुरा की खाता संख्या नया 35 में खसरा नम्बर 962 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 963 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि कालू, रामनाथ पि0 मोडू के खातेदारी में दर्ज है जिसमें नामान्तरण 1234 दिनांक 21.12.2018 से जरिये बेचान रामनाथ पिता गीलाराम हिस्सा 1/2 के स्थान पर गुलाब बाई पत्नी नारायण हिस्सा 1/2 कौम माली साकिन देह खाते दर्ज हुआ का नोट अंकित है । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । जब अप्रार्थी कम 1व 3 अपीलान्टगण को उक्त वाद की जानकारी प्राप्त हो गयी थी तो उनका कर्तव्य था कि वे निर्धारित तारीख पेशी पर जाकर सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी प्राप्त करते । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को प्रथमदृष्टया पैतृक भूमि माना है । पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट बदाम बाई के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 03 में अंकित किया गया है कि विवादित भूमि के मूल खातेदार प्रार्थिया के पिता गीलाराम पुत्र मोडू जाति माली थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, गीलाराम के प्रार्थिया पुत्री एवं कालू, रामनाथ पुत्र उत्पन्न हुए, गीलाराम की पत्नी मोत्याबाई की मृत्यु गीलाराम से पूर्व हो चुकी है । इस प्रकार मूल खातेदार गीलाराम के प्रार्थिया एवं रेस्पोडेन्ट कम संख्या 1 व 2 एवं अपीलान्ट कम संख्या 01 ही गीलाराम के वारिस हैं । प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट कम 01 के उक्त कथन को उसके भाई रामनाथ पुत्र गीलाराम द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2020 में जवाब प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 से 12 तक स्वीकार करते हुए प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट की याचिका को स्वीकार किये जाने योग्य माना है जिससे उक्त भूमि के पैतृक होने की पुष्टि होती है । इसके साथ ही पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा जारी पंचनामा की फोटो प्रति से भी प्रतीत होता है कि भूमि पैतृक है । हमारे समक्ष अपीलान्ट ने अपील मीमो में भी कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उक्त भूमि पैतृक नहीं है । अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट कम 01 के पक्ष में प्रतीत होता है । यदि दौराने वाद विवादित भूमि का विक्रय होता है तो वाद–बहुलता होगी तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट कम 01 को होगी । अतः विवादित भूमि को संरक्षित करना उचित होगा । भूमि पैतृक है अथवा नहीं ? विवादित भूमि में पक्षकारान के हक, स्वत्व वाद में साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णित होंगे । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का

आदेश जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये गये हैं । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2020 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा